



## उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

नेपाल हाउस, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:-03/विविध (Pay Revision -Engg.)-05/19 त0शि0 1710 /राँची, दिनांक:- 28.11.19

### अधिसूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद के अधिसूचना संख्या फा0 स0 61-1/आरआईएफडी/7वां सीपीसी/2016-17 दिनांक 01.03.2010 द्वारा तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्त और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानको के अनुरक्षण के लिए उपायों पर विनियम 2019 बनाई गई है।

उक्त विनियम के आलोक में उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्त और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानको के अनुरक्षण के लिए उपायों हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

- |     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| i   | सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची   | - | अध्यक्ष    |
| ii  | विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव   | - | सदस्य      |
| iii | वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर का)                             | - | सदस्य      |
| iv  | निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय  | - | सदस्य      |
| v   | संयुक्त सचिव/उप सचिव (स्थापना प्रभारी) उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग             | - | सदस्य सचिव |
| vi  | अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान के प्रतिनिधि (तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा नामित) | - | सदस्य      |
2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।  
समिति से अनुरोध है कि वांछित अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रविन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 03/विविध (Pay Revision -Engg.)-05/19 त0शि0 1710 /राँची, दिनांक:- 28.11.19  
प्रतिलिपि:-मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 03/विविध (Pay Revision -Engg.)-05/19 त0शि0 1710 /राँची, दिनांक:- 28.11.19  
प्रतिलिपि:- समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

1